तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-02-24	**एकलपीठ** **श्री विष्णु कुमार गोयल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, उप राजकीय अभिभाषक । श्री के.के. पुरोहित व श्री हिमांशु सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थीगण —— **आदेश** यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 25–3–2004 से राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार राजगढ़ ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट चूरू के निर्णय दिनांक 20–05–1971 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि सहायक जिलाधीश ने अपने उक्त निर्णय के अनुसार मूल खसरा नंबर 580 का टुकड़ा कर रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा गोचर से तबदील कर बारानी दोयम कायम कर पीरू खां पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान निवासी राजगढ़ के हक में खातेदारी देकर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किए जाने के आदेश दिए। सहायक जिलाधीश द्वारा डिक्री जारी करने में अनियमितता कारित की है और ना ही इजराय की कार्यवाही की गई बल्कि जमाबंदी में सीधी विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20–05–1971 निरस्त किया जावें। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अपने निर्णय दिनांक 25–03–2004 से स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस अपने निर्णय व अभिशंषा से उक्त निर्णय दिनांक 20–05–1971 निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गोचर भूमि दर्ज है जिसका उपयोग गोचर के रूप में आज तक किया जा रहा है। अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के	

प्रावधानानुसार प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। सहायक जिलाधीश ने बिना क्षेत्राधिकार के वाद स्वीकार कर डिक्री किया है जो अवैध एवं शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावे।

उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी पीरू खां का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का व बंदोबस्त से पहले का चला आ रहा था। भूमि काबिल काश्त थी केवल राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पायतन भूमि अंकित थी। अप्रार्थी ने सहायक जिलाधीश चूरू के न्यायालय में वाद घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था जिस पर सहायक जिलाधीश ने विधिवत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी बारानी दोयम कायम कर अप्रार्थीगण के पूर्वज पीरू खां को खसरा नंबर 580 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि की विधिवत खातेदारी दी जाकर डिक्री किया है। इस वाद में रेफरेंसकर्ता तहसीलदार राजगढ़ भी पक्षकार था। यदि तहसीलदार राजगढ़ का इस निर्णय से कोई आपत्ति थी तो इसकी अपील पेश की जानी चाहिए थी। तहसीलदार ने विधिवत अपील प्रस्तुत न कर 31 वर्ष बाद रेफरेंस कर उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराना चाहते है, जो बेकडोर एंट्री है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि तहसीलदार ने पूर्व में भी एक रेफरेंस संख्या 20/01 सरकार बनाम पीरू खां पेश किया था जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा वाद सुनवाई दिनांक 13–03–2001 से खारिज किया जा चुका है। इस कारण भी तहसीलदार राजगढ़ को दूसरा रेफरेंस प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रह जाता। रेफरेंस अपील का माध्यम ना होकर समरी प्रोसिडिंग तहसीलदार को रेफरेंस प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु रेफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत रेफरेंस विधि अनुसार पेश नहीं होने से पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

पत्रावली के साथ संलग्न सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू प्रकरण वाद संख्या 328/70 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 03–09–1970 में प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर होकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा तथा उसके पश्चात् छः पेशियों पर प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 09–05–1971 द्वारा प्रतिवादी सरकार की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 20–05–1971 द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज पीरू खां द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया है। उक्त प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी किया जाना परिलक्षित है तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में ही अप्रार्थीगण के पूर्वज पीरू के नाम विवादित आराजी की खातेदारी देकर जमाबंदी में इंद्राज किए गए है। उक्त वाद में तहसीलदार राजगढ़ पक्षकार बतौर प्रतिवादी उपस्थित थे। यदि तहसीलदार राजगढ़ को उक्त निर्णय में कोई आपत्ति थी तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में इस निर्णय के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी परंतु तहसीलदार ने उक्त निर्णय को निरस्त कराने हेतु 31 वर्ष बाद रेफरेंस प्रस्तुत किया है। तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रेफरेंस संख्या 20/01 सरकार बनाम पीरू खां बाद सुनवाई अपूर्ण मानते हुए खारिज किया जा चुका है। हस्तगत रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज का वाद इस्तकरारहक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निर्णित कर विवादित आराजी की किस्म बारानी दोयम करते हुए अप्रार्थी के पूर्वज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए है। सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बतौर प्रतिवादी तहसीलदार राजगढ़ ने पैरवी की है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य जाहिर है कि उक्त निर्णय व डिक्री प्रतिवादी की उपस्थिति में जारी की है किंतु तहसीलदार राजगढ़ द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर उक्त निर्णय के 31 वर्ष के लंबे समय पश्चात जरिए रेफरेंस उक्त निर्णय को निरस्त कराने का निवेदन किया है जिसकी इजाजत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु रेफरेंस का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी राज्य सरकार उक्त आदेश से व्यथित है तो रेफरेंस के बजाय उसे सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु विधि में उपलब्ध अन्य उपचार अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। रेफरेंस अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकता एवं ना ही रेफरेंस के माध्यम से कानूनन निर्णय व डिक्री को निरस्त कराया जा सकता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या रेफरेंस प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित है और क्या सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत रेफरेंस मियाद बाहर होने से स्वीकार्य नहीं था? यह निर्विवाद है कि सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–05–1971 के विरुद्ध अति0 जिला कलेक्टर, चुरू द्वारा दिनांक 15–06–2002 को 31 साल बाद उक्त रेफेरेंस प्रस्तुत किया गया था। यह भी सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 अथवा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के प्रावधानों में रेफरेंस प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। विचारणीय यह है कि समय सीमा निर्धारित नहीं होने का अर्थ क्या यह है कि रेफरेंस कभी भी और कितने भी विलम्ब से प्रस्तुत किया जा सकता है? विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त – 1996 RRD 170 – आनन्दी लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान की खण्ड पीठ द्वारा में इस बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की गयी है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित विभिन्न निर्णयों, यथा AIR 1962 SC 256, AIR 1966 SC 637, AIR 1986 SC 1272, AIR 1992 SC 185, AIR 1972 SC 1598, AIR 1969 SC 1597, AIR 1983 SC 1239, AIR 1989 SC 1771 आदि में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों की रोशनी में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 अथवा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के प्रावधानों में रेफरेंस प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि बिना किसी न्यायोचित कारण के अत्यधिक विलम्ब से रेफेरेंस प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। रेफेरेंस समुचित समय सीमा में (within reasonable time) और बिना विलम्ब (without inordinate delay) प्रस्तुत किया जाना चाहिये। आनन्दीलाल के प्रकरण में पारित उक्त निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर 1995 (1996 RRD 170) के पेरा संख्या 24 एवं 25 को यहां उदधृत किया जाना उचित रहेगा, जो कि निम्न प्रकार हैं:–

"24. In our opinion, the settled legal position as stated above, would apply to the agricultural land in possession of the tenants/ khatedars also once the cases of such tenants/ khatedars are decided and their rights have been concluded

and pursuant to the same they are in possession of the land. Ordinarily the revisional power under Section 82 of the Act of 1956 and under Section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year from the date of the order sought to be revised. Once a tenant/khatedar acquires tenancy/ khatedari rights and continues to be in possession of the land, his rights cannot be called in question after unreasonable delay. Such tenant/khatedars are required to be treated at par, for all purposes, with all other tenants/khatedars who acquired tenancy/ khatedari rights over the land. To permit the exercise of revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and/Or under Section 232 of the Act of 1955 after unreasonable delay, would amount to putting imprimatur of the Courts on the unreasonable and arbitrary exercise of power. Within a period of one year the tenant/khatedar of the land would have spent money for the improvement of the land, he would have arranged his affairs of life on the basis that he is in occupation of the land, he would have entered into several transactions on this basis and made many commitments. Therefore, ordinarily revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and under Section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year. If this requirement of reasonable length of time is not read into the aforesaid provisions, the provisions would become unconstitutional.

25. However, we make it clear that in case where fraud is alleged and public interest is shown to be suffering on account of collusion between the public officers and the private party, this revisional power may be exercised even after a period of one year. However, there should be satisfactory explanation for the exercise of revisional power after reasonable length of time. In view of this position of law, whether the land was Murti Muafi Land of Laxminarayan Temple, is not of much relevance. Whatever be the nature of the land, after lapse of unreasonably long time, the revisional power could not be exercised by the authorities concerned."

अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत रेफेरेंस प्रकरणों से पक्षकार को होने वाली कठिनाइयों (hardships) को ध्यान में रखते हुये ही सुनहरी एवं अन्य के प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 10–10–79 के विरूद्ध जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा 17 साल बाद प्रस्तुत रेफेरेंस प्रकरण 2010 RRD 260 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा] 1996 RRD 568 (DB), 2000 RRD

52 (HC), 1996 RRD 170 (HC) और लाड बाई एवं अन्य के प्रकरण SBCWP No.493/01 decided on 24-01-2002(HC) में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों पर चर्चा करने के उपरान्त, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेफेरेंस "Should be made in reasonable time." माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन पूर्व निर्णयों पर चर्चा की गयी है उनमें से 1996 RRD 568 (DB of HC) का पेरा 21 और 24 निम्न प्रकार हैः–

"..... simply because provisions of Section 82 of the Act of 1956 and section 232 of the Act of 1955 do not provide for the period of limitation, it does not mean that the authority on whom the power is conferred, can invoke the same at any time. This is so because each and every authority on whom the power is conferred, is expected to exercise the same in just and reasonable manner. The concept of exercise of power in a reasonable manner inheres with it the concept of exercising the same within a reasonable time. If the power is not exercised within reasonable time, the invocation of power after inordinate delay and the exercise of the same after unreasonable length of time would be unjust, arbitrary and unreasonable. Therefore the action taken by exercise of such power would be illegal and void. If the requirement of exercise of power within reasonable time is not read into the provisions of Section 82 of the Act of 1956 and Section 232 of the Act of 1955, then provision itself would become unconstitutional. It can never be presumed that the legislature intended to confer power on any authority to exercise the same in unjust and unreasonable manner. Therefore, to uphold the constitutionality of the aforesaid provisions, the requirement of exercise of the same power within reasonable period has got to be read into the same." (Para 21)

"In our opinion, the settled legal position as stated above, would apply to the agricultural land in possession of the tenants/khatedars also once the cases of such tenants/ khatedars are decided and their rights have been concluded and pursuant to the same they are in possession of the land. Ordinarily the revisional power under Section 82 of the Act of 1956 and under section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year from the date of the order sought to be revised. Once a tenant/khatedar acquires tenancy/ khatedari rights and continues to be in possession of the land, his rights cannot be called in question after unreasonable delay. Such tenants/khatedars are required to be treated at par, for all purposes, with all other

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

tenants/khatedars who acquired tenancy/khatedari rights over the land. To permit the revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and/or under Section 232 of the Act of 1955 after unreasonable delay, would amount to putting imprimatur of the Courts on the unreasonable and arbitrary exercise of power. Within a period of one year the tenant/khatedar of the land would have spent money for the improvement of the land, he would have arranged his affairs of life on the basis of that he is in occupation of the land, he would have entered into several transactions on this basis and made many commitments. Therefore, ordinarily revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and under section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year. If this requirement of reasonable length of time is not read into the aforesaid provisions, the provisions would become unconstitutional." (para 24)

इसी प्रकार लाड बाई एवं अन्य के प्रकरण SBCWP No.493/01 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–01–2002 में उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा दिनांक 15–12–1969 को पारित निर्णय व डिक्री को राजस्थान टीनेंसी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत रेफेरेंस प्रस्तुत होने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10–07–1989 को अपास्त कर दिया गया था। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट के माध्यम से आने पर यह अभिनिर्धारित किया गया किः–

"From perusal of the provisions of Section 232 quoted above, it will be seen that the Collector has unlimited power to call for examination the record of any case or proceedings decided by the Revenue courts subordinate to him and no limitation is prescribed for doing so. However, interest of justice would require that this power has to be exercised within a reasonable time and a reference is to be made to the Board of Revenue for variation, cancellation of the said order and the Board may thereupon make such order. It will be seen from the provisions of Section 232 that the power is statutorily conferred on the Board of Revenue alone as it is the highest appellate authority under the Rajasthan Tenancy Act. He scrutiny contemplated by this provision under section 232 which the Collector may undertake to get the matter decided by the Board of Revenue itself as the initial order which may be confirmed by the learned Board of Revenue is passed by revenue court subordinate to the Collector. In such contingency, the order of Board of Revenue will also have to be varied and hence, power is conferred only in the Board of

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Revenue to accept the reference and vary, cancel or reverse the order. This being the frame of law, it would therefore, be reasonable to hold in the circumstances that though there is no limitation prescribed, the power under section 232 to make reference should be used with circumspection and within reasonable time; what should be the reasonable time in the circumstances, cannot be defined or fixed. It may vary from case to case. The purpose of giving this power of making scrutiny and reference to the Collector is basically to avoid fraudulent use or abuse of jurisdiction of the revenue courts or collusive jurisdiction of the revenue courts by parties entertaining to change legislation made by the State for protection of weaker section of the community. It does not mean that the power can be used as weapon to disturb possession of a rightful person. This being the position of law as I understand in relation to Section 232 I will have to consider whether the circumstances mentioned in this case are such as the reference made in 1987 for quashing of the order of 1969 is made within reasonable time. I find from scrutiny of record that there is nothing on record by way of explanation as to why nothing was done in this matter for 18 years, why the Collector did not come across the record earlier, why the Tehsildar did not make an application for reference under Section 232 earlier. There is therefore, no evidence on record of this case to show that decree obtained in 1969 was in any manner fraudulent or mischievously collusive. In such circumstances, I find exercise of powers under section 232 of making reference as is made by the Collector is excessive exercise of jurisdiction and is therefore, liable to be quashed." इस प्रकार धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रेफेरेंस हेतु कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं होने के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टतः प्रतिपादित कर दिया गया है कि रेफेरेंस समुचित समय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि सामान्यतः एक साल से अधिक नहीं होना चाहिये। 1996 RRD 170 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवश्य प्रतिपादित किया गया है कि समुचित समय एक साल होने के बावजूद रेफेरेंस हेतु मियाद का बिन्दु प्रकरण विशेष के तथ्यों तथा रेफेरेंस अधीन चुनौती दिये गये आदेश की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये। जहां फर्जकारी सिद्ध हो अथवा निजी पक्षकार एवं लोक सेवक के बीच दुरभि संधि के कारण व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा हो तो तत्सम्बन्धी कारण अंकित करते हुये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 7311/ 2006 / चूरू** **राजस्थान सरकार बनाम गुलाब व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एक साल की अवधि के बाद भी रेफेरेंस किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अति0 जिला कलेक्टर, चुरू के रेफेरेंस निर्णय/अभिशंषा दिनांक 25–03–2004 में किसी प्रकार की फर्जकारी अथवा दुरभि संधि का उल्लेख नहीं है। उक्त निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–1971 के विरुद्ध अपील क्यों नहीं की गयी। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–1971 के बाद 31 साल बाद रेफेरेंस क्यों किया जा रहा है, जबकि अति0 जिला कलेक्टर के समक्ष रेफेरेंस पर सुनवाई के दौरान अप्रार्थी पक्ष द्वारा विलम्ब सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में फर्जकारी अथवा दुरभि संधि का बिन्दु नहीं होने तथा 31 साल के अत्यधिक विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होने के कारण रेफेरेंस मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 3461/2000 आदेश दिनांक 08–12–2005 का अवलोकन किया जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने रेफरेंस को खारिज करते हुए निर्णय व डिक्री को बहाल रखा है। सहायक जिलाधीश मजिस्ट्रेट चुरू द्वारा राज्य सरकार को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पारित निर्णय व डिक्री को 31 साल के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत रेफेरेंस के माध्यम से अपास्त नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रेफरेंस प्रार्थनापत्र को एतदद्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विष्णु कुमार गोयल)
सदस्य